331/38-3-2011
60/38-6-11

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण

संख्या : बी–2–348/दस–2011–244 (5)/2010–II

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 17 फरवरी, 2011

विषयः प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–बी–2–202/दस–2011–244(5)/2010–II दिनांक 01 फरवरी, 2011 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–2011 में बजट/अनुपूरक बजट प्रावधानों के अन्तर्गत सभी वित्तीय स्वीकृतियां दिनांक 28 फरवरी, 2011 तक निर्गत किये जाने एवं वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशि को पी.एल.ए./ डिपाजिट खातों में जमा न किए जाने का आदेश जारी किये गये हैं ।

2– उक्त के संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–2011 में बजट/अनुपूरक बजट प्रावधानों के अन्तर्गत सभी वित्तीय स्वीकृतियां दिनांक 28 फरवरी, 2011 तक जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाय । उक्त तिथि के पश्चात् वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं की जायेंगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिनमें केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय संस्थाओं आदि से वित्तीय स्वीकृतियां उक्त तिथि के बाद प्राप्त हों ।

3– इस संबंध में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि वित्तीय वर्ष 2010–2011 में वित्तीय स्वीकृतियां, वर्ष की शेष अवधि में व्यय/वास्तविक उपयोग हेतु आवश्यक धनराशि की सीमा तक ही जारी की जांय । वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को पी.एल.ए./ डिपाजिट खातों में जमा नहीं किया जायेगा, लेकिन विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकृत धनराषि पूर्ववत् डी.आर.डी.ए. के वैयक्तिक लेखा खाते में स्थानान्तरित करके व्यय की जायेगी ।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें । कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाय ।

अनुभाग अधिकारी - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव

22/02/11

RD 6

संख्या : बी–2–348(1)/दस–2011–244 (5)/2010–II, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी ।
6. वित्त विभाग के समस्त व्यय नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी एवं
विशेष सचिव ।